कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद -500 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

दूरभाष/TELE: 040-27843385 फैक्स/FAX:040-27817275

सं. हि0क0/2181/रा0भा0/बैठक दिनांक : 08.01.2018

विषय : 12/2017 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त ।

****

इस कार्यालय की 12/2017 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 22.12.2017 को दोपहर 3.00 बजे सम्मेलन कक्ष में किया गया । बैठक की अध्यक्षता श्री शिव शंकर बंडी, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा उप-नियंत्रक महोदय ने की ।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों तथा सदस्यों ने भाग लिया ।

क्रम सं.	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	बैठक में पद
1.	श्री बी. शिव शंकर, भा.र.ले.से.	रक्षा लेखा उप नियंत्रक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रेमसागर मीना, भा.र.ले.से.	रक्षा लेखा उप नियंत्रक	उपाध्यक्ष
3.	श्री टी. राममूर्ति	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
4.	श्रीमती एस. वत्सला	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
5.	श्री एस. मुरलीकृष्णा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
6.	श्री जे. अंजन कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
7.	श्रीमती बी. शैलजा राव	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
8.	श्री एल. पद्मपाणि	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
9.	श्रीमती देवकी सुब्रमणियम्	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थित :

श्रीमती ओनिमा के. दास, कनिष्ठ अनुवादक

सर्वप्रथम समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

मद सं.1 - दिनांक 22.09.2017 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा :

सभी अधिकारियों एवं सदस्यों ने दिनांक 22.09.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से कर दी ।

इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2017 को आयोजित रा.भा.का.स. की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा मदवार निम्नानुसार है :-

1. हिंदी कार्यशाला का आयोजन - समिति को सूचित किया गया कि मुख्य कार्यालय, र.ले.नि., सिकंदराबाद में दिसंबर के महीने में पाँच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में कुल 16 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

2. ट्यूलिप परियोजना में रिजेक्शन मेमो को द्विभाषी जारी किया जाना - सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि इस संबंध में आई.टी.एस.डी.सी. से बार-बार संपर्क किया गया है परंतु अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है । उन्होंने इस कार्य के लिए एक और महीने का समय माँगा है । अध्यक्ष महोदय ने अगली बैठक तक इस कार्य को पूरा करवाने का प्रयास करने को कहा ।

3. हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हिंदी वैयक्तिक वेतन के भुगतान पर स्पष्टीकरण - जैसा कि पहले भी सूचित किया गया है सातवें वेतन आयोग की भत्तो संबंधी रिपोर्ट आने के बाद हिंदी वैयक्तिक वेतन के भुगतान को ट्यूलिप परियोजना के अधीन रोक दिया गया था । इस विषय पर मुख्यालय कार्यालय से सितंबर, 2017 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण माँगा गया था और नवंबर, 2017 में मुख्यालय कार्यालय ने स्पष्टीकरण देते हुए ट्यूलिप परियोजना में इसे पुन: सक्रिय करने का आदेश दिया था जिसकी प्रति आई.टी.एस.डी.सी. को भी दी गई । तदनुसार सभी अर्हक कर्मचारियों को हिंदी वैयक्तिक वेतन के भुगतान कर दिया गया है ।

मद सं. 2 - पिछली दो तिमाहियों 06/2017 तथा 09/2017 की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा :

इस संगठन की पिछली दो तिमाहियों 06/2017 तथा 09/2017 की तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आंकडों की तुलनात्मक समीक्षा निम्नानुसार है :-

1. धारा 3(3) के अधीन जारी किये गये कार्यालय आदेश भाग 1, कार्यालय आदेश भाग 2, परिपत्र आदि :

तिमाही का नाम	कुल जारी	द्विभाषी	अंग्रेज़ी
06/2017	297	297	शून्य
09/2017	322	322	शून्य

2. हिंदी पत्राचार की स्थिति :

तिमाही का नाम	हिंदी पत्रों की संख्या	अंग्रेज़ी पत्रों की संख्या	हिंदी पत्रों का प्रतिशत
06/2017	19488	5461	78.11%
09/2017	25751	5732	81.79%

मद सं. 3 - रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों / परिपत्रों पर कार्रवाई की समीक्षा - समिति को अवगत कराया गया कि पिछली तिमाही में महानियंत्रक कार्यालय से केवल 04 पत्र प्राप्त हुए हैं । इसमें से एक पत्र के अधीन मुख्यालय कार्यालय में अक्तूबर, 2017 के महीने के दौरान आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त हुआ है जिसकी अध्यक्षता स्वयं रक्षा लेखा महानियंत्रक महोदया द्वारा की गई । इस बैठक में अन्य अनुदेशों के साथ इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पत्र/पत्रिकाओं की खरीद के लिए खर्च की जा रही कुल राशि में से अनिवार्य रूप से 50% या उससे अधिक राशि को हिंदी पत्र/पत्रिकाओं की खरीद के लिए खर्च किया जाए । इस संदर्भ में समिति के सदस्यों को सूचित किया गया

कि इस अनिवार्यता को पूरा करने के लिए मुख्य कार्यालय और दोनों वेतन लेखा कार्यालयों में एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र, कुछ हिंदी पत्रिकाएँ एवं कुछ हिंदी साहित्यिक पुस्तकें अनिवार्य रूप से खरीदी जाती हैं । इसके साथ-साथ छोटे उप-कार्यालयों के लिए एक पाक्षिक हिंदी पत्रिका अगस्त, 2017 से खरीदी जा रही है ।

इस पर सदस्यों द्वारा पूछा गया कि क्या इन पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए किसी पुस्तकालय की व्यवस्था है । सदस्य सचिव ने बताया कि इस समय तो इन पुस्तकों/पत्रिकाओं को हिंदी कक्ष में ही रखा गया है । सदस्यों ने सुझाव दिया कि कार्यालय में एक पुस्तकालय की व्यवस्था कर हिंदी, अंग्रेज़ी और तेलुगु पुस्तकों को कर्मचारियों के पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है और डी.ए.आर.सी. को इसकी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया ।

इसके अतिरिक्त मुख्यालय कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में आयोजित रा.भा.का.स. की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा की गई है और वर्ष 2017-18 के दौरान पूरा किए गए राजभाषा निरीक्षण के विवरण की माँग की है । इस संबध में आवश्यक सूचना मुख्यालय कार्यालय को भेज दी गई है । साथ ही इस कार्यालय द्वारा "राजभाषा भत्ता" पर माँगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त हुआ है जिसपर मद सं. 1 में चर्चा की जा चुकी है ।

<u>मद सं. 4</u> - <u>वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा</u> - समिति के सदस्यों को बताया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया गया है । जहाँ भी लक्ष्य प्राप्ति में कुछ कमी रह गई है उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर्मचारियों को लीला-प्रवीण/लीला-प्राज्ञ के माध्यम से ऑन-लाइन प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

<u>मद सं. 5</u> - <u>संगठन में हिंदी संवर्ग की समीक्षा</u> :

इस संगठन में हिंदी संवर्ग की स्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	पद	प्राधिकृत	तैनात	रिक्त
1.	हिंदी अधिकारी	02	शून्य	02
2.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	02	01	01
3.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	02	शून्य
4.	हिंदी टंकक	02	शून्य	02

<u>मद सं. 6</u> - <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिकारियों/सदस्यों की ओर से अन्य कोई विषय/सुझाव</u> :

<u>न.रा.भा.का.स.</u> - सदस्य सचिव ने समिति के सदस्यो को बताया कि न.रा.भा.का.स. की पिछली छमाही की बैठक एन.जी.आर.आई. में दिनांक 15.12.2017 को आयोजित की गई थी जिसमें श्रीमती देवकी सुब्रमणियम्, वरिष्ठ अनुवादक ने इस कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया था । समिति को सूचित किया गया कि न.रा.भा.का.स. की बैठक में तीन उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया गया - (क) पत्रिका प्रकाशन समिति (ख) समारोह समिति और (ग) पुरस्कार समिति । इस कार्यालय में सेवारत श्रीमती देवकी सुब्रमणियम् को समारोह समिति के एक सदस्य के रूप में चयनित किया गया है ।

<u>रक्षा लेखा महानियंत्रक की टीम द्वारा निरीक्षण</u> - सदस्य सचिव ने आगामी वर्ष में रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की टीम द्वारा इस कार्यालय के निरीक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित मदों पर भी सभी अनुभागों को तैयार करें । साथ ही यह भी सूचित किया गया कि इस संबंध में हिंदी कक्ष द्वारा अनुभागों को आवश्यक परिपत्र जारी किया जाएगा ।

<u>अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण</u> - सदस्य सचिव ने सूचित किया कि वर्ष 2017-18 के निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार सभी उप-कार्यालयों का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है । अभी मुख्य कार्यालय के सात अनुभागों का निरीक्षण शेष है जिसे जनवरी, 2018 में पूरा करने का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय ने इसका अनुमोदन किया ।

<u>अनुभागों में हिंदी कार्य को बढ़ाना</u> - श्रीमती एस. वत्सला, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने कहा कि जिन अनुभागों का हिंदी कार्य का प्रतिशत कम है उन अनुभागों में द्विभाषी पत्राचार बढ़ाकर हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है । उन्होंने सुझाव दिया कि आई.एफ.ए कक्ष के रिजेक्शन पत्रों को द्विभाषी बनाया जा सकता है । सदस्य सचिव ने इसे नोट किया ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

रक्षा लेखा नियंत्रक महोदय ने देख लिया है ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक (राजभाषा), कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, पालम, दिल्ली ।
2. सहायक निदेशक (राजभाषा), हिंदी अनुभाग, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-3), एन.जी.आर.आई., उप्पल रोड, हैदराबाद ।
4. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोरमंगला, बेंगलूर ।
5. सभी अधिकारी / सदस्य (उनके नाम से)
6. सभी प्रभारी अधिकारी, सभी अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)/ सभी अनुभाग (स्थानीय)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा)